Phone : 0141-2795529
0141-2795542
Fax No.: 0141-2795550

website - www.ruhsraj.org
Email: ruhsacademic1@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033(Raj.)

क्रमांकः एफ–8( )एकेडमिक/राज.स्वा.वि.वि./2019/ 8266 दिनांक :25/7/2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में सत्र 2019–2020 हेतु निजी क्षेत्र में बी.फार्म/डी.फार्म पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता हेतु जिन 35 संस्थाओं/महाविद्यालय द्वारा आवेदन किया गया है। इनके संबंध में राज्य सरकार के द्वारा पत्र दिनांक 16.07.2019 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.03.2017 जो कि पूर्व में जारी परिपत्र 2012 के अतिक्रमण में जारी किया गया था जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में निजी क्षेत्र में नवीन फार्मेसी महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) संचालित करने हेतु LOI एवं NOC जारी की जाती थी, को प्रत्याहारित (Withdraw) कर लिया गया है।

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2019 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में वर्तमान में सत्र 2019–2020 की नवीन सम्बद्धता के सम्बन्ध में जिन संस्थाओं के प्रकरण विश्वविद्यालय में लम्बित है और जिनको एआईसीटीई व पीसीआई से दिनांक 10.06.2019 तक सत्र 2019–2020 की स्वीकृति प्राप्त है ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण करवाया जाना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के अन्तरिम निर्णय दिनांक 31.05.2019 की अनुपालना में सम्बद्धता शुल्क के संबंध में शैक्षणिक कलेण्डर 2019–2020 के अनुसार अंतिम तिथि दिनांक 31.05.2019 को देय सम्बद्धता शुल्क दिनांक 31.07.2019 तक जमा करवाकर तथा एआईसीटीई व पीसीआई से सत्र 2019–2020 हेतु दिनांक 10.06.2019 तक प्रदान की गई स्वीकृति की प्रति संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बद्धता शुल्क माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

विश्वविद्यालय के उक्त आदेश की पालना नहीं करने की स्थिति में संस्थाओं/महाविद्यालयों के आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

संस्थाओं को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 16.07.2019 में वर्णित निम्न शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य है :–

1. आवेदित संस्थान के भवन का स्वामित्व व संपूर्णता एवं सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
2. Local Laws जैसे अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा एवं संस्थान तक बिना बाधा पहुंचने का मार्ग होने सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया गया हो।

उक्त शर्तों की पूर्ति करने के संबंध में संस्थान/महाविद्यालय द्वारा एक शपथ पत्र (Non Judical Stamp of Rs. 100/- पर) महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान उक्त समस्त दस्तावेजों सहित निरीक्षणकर्ता को सुपुर्द करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किये गये हैं।

(कालू राम)
कुलसचिव

क्रमांकः एफ–8( )एकेडमिक/राज.स्वा.वि.वि./2019/ 8267-73 दिनांक :25/7/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय/ प्रति कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि.वि., जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप–I), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय...
5. प्रभारी अधिकारी, बेबसाईट, राज.स्वा.वि.वि, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. श्रीमान सिंह मुद्गल)
उप कुलसचिव शैक्षणिक–I